UPLK010038852026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश**,** लखनऊ

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या**-1832/2026**

आयूष यादव**,** उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र रामचन्द्र, निवासी मुन्नू पुरवा, अटेसुवा, जनपद लखनऊ।

.....आवेदक**/**अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी।

अपराध संख्या**-** 26/2026
धारा**-** 191(2), 115(2), 351(3), 281, 140(1) भारतीय न्याय संहिता,
थाना**-** इटौंजा, जनपद**-** लखनऊ।

दिनांक**-25.03.2026.**

1. प्रार्थी/अभियुक्त आयूष यादव की ओर से मु०अ०सं०-26/2026, धारा- 191(2), 115(2), 351(3), 281, 140(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना- इटौंजा, जनपद- लखनऊ, में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **482** बी**.**एन**.**एस**.**एस**.** मय शपथ पत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो प्रार्थी के शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अरुण कुमार सिंह द्वारा दिनांक 23.02.2026 को समय लगभग 11:30 बजे, ग्राम इटौंजा, थाना चौराहा पुल के पास, सुमित सिंह व राहुल यादव द्वारा अपने तीन साथियों के साथ मिलकर बिना नम्बर प्लेट लगी स्कॉर्पियो गाड़ी से वादी मुकदमा के छोटे भाई आलोक सिंह की दो पहिया गाड़ी में टक्कर मारने, लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से मारने व स्कॉर्पियो गाड़ी में अपहरण कर लखनऊ की तरफ ले जाने आदि के सम्बन्ध में दिनांक 23.02.2026 को समय 22:01 बजे, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ में सुमित सिंह, राहुल यादव व तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा-191(2), 115(2), 351(3), 281, 140(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी को इस अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका है। वादी मुकदमा व मुख्य अभियुक्त के बीच घटना के कुछ दिन पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हुआ था जिसके पश्चात वादी मुकदमा द्वारा घटवा का होना बताया जा रहा है। वादी मुकदमा द्वारा उक्त घटना को थाना इटौंजा के पास दोपहर के 2.00 बजे करीब घटित होने की बात बताई जा रही है किंतु घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं बताया जा रहा है। प्रार्थी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। प्रार्थी उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का घटना से कोई सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 घण्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसमें लगाये गये आरोप फर्जी हैं, अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. वादी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त राहुल यादव आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिसका एक गिरोह है जिसमें आवेदक/अभियुक्त भी शामिल है, आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त घटना कारित की गयी है और वादी मुकदमा के भाई को मार-मार कर अधमरा कर दिया गया, अतः अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया तथा थाने की आख्या पर बल देते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के कथनों के आधार पर अभियुक्त व अन्य सह-अभियुक्तों की संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या पायी गयी है। अभियुक्त द्वारा घटना के समय स्वयं को अन्य स्थान पर होना बताया गया है, जिसका कोई स्वतंत्र साक्ष्य अभी तक विवेचना में पुष्ट नहीं हुआ है। जमानत आवेदन में किये गये कथन असत्य व भ्रामक हैं, अतः अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परीशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने अन्य सह-अभियुक्तगण से मिलकर बल्वा कारित करते हुए बिना नम्बर लगी स्कॉर्पियो गाड़ी को उपेक्षा से चलाकर वादी मुकदमा के भाई/पीड़ित के दोपहिया वाहन में टक्कर मारकर उसे क्षति कारित करने, लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से पीड़ित को मारने-पीटने तथा पीड़ित का अपहरण कर उसे उसकी हत्या होने के खतरे में डालने का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त का नाम चोटहिल के बयान के आधार पर सामने

आया है। चोटहिल ने अपने बयान में यह बताया है कि स्कार्पियो में बैठे छः लो जिनमें शैलेश यादव, शिवम यादव, दिवाकर यादव, मोहित यादव, मनीष व आयुष यादव द्वारा उक्त घटना को कारित करने का आरोप लगाया है। आघात आख्या के अनुसार चोटहिल के शरीर पर 8 चोटों का होना आख्यापित है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह भी आरोप है कि वह सुनियोजित गैंग का सदस्य है और गैंग का उद्देश्य लोगों को अपहृत करना है। आरोपित घटना में प्रयुक्त 2 वाहनों का बरामद होना भी आख्यापित है। वादी पक्ष के द्वारा अभियुक्त पक्ष के विरुद्ध पंजीकृत करायी गयी अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिणामस्वरूप प्रश्नगत घटना का कारित किया जाना कहा गया है।

8. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **आयुष यादव** की ओर से मु०अ०सं०-26/2026, धारा- 191(2), 115(2), 351(3), 281, 140(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना- इटौंजा, जनपद- लखनऊ, में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.04.16 16:58:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court